"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281] रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2011—आश्विन 18, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

क्रमांक 7178/195/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-09-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 22 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,—

(1) मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द "व्यक्ति" के पश्चात् शब्द "एवं उसका परिवार" जोड़ा जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(खख) "परिवार" से अभिप्रेत है, व्यक्ति तथा उसका/उसकी पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, एवं उसके बच्चे, पिता, माता, बहन एवं भाई, जो उस पर आश्रित हों तथा उसके साथ निवास कर रहे हों."

(3) मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में शब्द "आढ़तिया" के स्थान पर शब्द "अभिकर्ता" प्रतिस्थापित किया जाये तथा जहां कहीं शब्द "व्यापारी" आया हो, को विलोपित किया जाये.

(4) मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खं- प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ठ) "मंडी प्रांगण या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या उप-मंडी प्रांगण या किसान/उपभोक्ता उप-मंडी प्रांगण" से किसी मंडी क्षेत्र के संबंध में अभिप्रेत है, कोई ऐसा विनिर्दिष्ट स्थान, जिसे धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन मंडी प्रांगण या विशेष वस्तु मंडी प्रांगण या उप-मंडी प्रांगण या किसान/उपभोक्ता उप-मंडी प्रांगण घोषित किया गया हो."

(5) मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (डडड) में, शब्द "पॉलिश करना", को विलोपित किया जाये.

(6) मूल अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (डडडडड) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(डडडडडड) "विनिर्माण" से अभिप्रेत है, कृषि उपज के मूल स्वरूप, आकार, प्रकार तथा गुण को उसके वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किसी दूसरी वस्तु में बदलना जिससे उसे नया एवं भिन्न स्वरूप, आकार, प्रकार तथा गुण या संयोजन/सम्मिश्रण प्राप्त होता है.

(डडडडडडड) "विनिर्माता" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति, जो कृषि उपज से विनिर्माण शारीरिक या यांत्रिक साधनों द्वारा करता हो."

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :— धारा 5 का संशोधन.

"(एक-क) विशेष वस्तु के लिए एक या अधिक प्रांगण हो सकेंगे."

(2) मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के उप-खण्ड (क) तथा (ख) में, शब्द "मंडी प्रांगण" तथा "उप-मंडी प्रांगण" के पश्चात् शब्द "या विशेष वस्तुत मंडी प्रांगण" तथा "या किसान/उपभोक्ता उप-मण्डी प्रांगण" अंत:स्थापित किये जाये.

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— धारा 11 का संशोधन.

"**स्पष्टीकरण**—इस खंड में अभिव्यक्ति "कृषकों के प्रतिनिधि" के अंतर्गत मंडी क्षेत्र का कोई ऐसा कृषक नहीं आयेगा, यदि उसका कोई नातेदार अर्थात् पति, पत्नी, पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र तथा पुत्री, जो कि उसके साथ निवास कर रहे हों तथा उस पर आश्रित हों, राज्य में किसी भी मंडी समिति से व्यापारी के रूप में पंजीयन धारण करते हों."

(2) मूल अधिनियम की धारा 11-ख की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(क) जिसका नाम राजस्व/वन ग्राम के भू अभिलेखों में भूमि स्वामी पट्टा/पट्टेदार के रूप में प्रविष्ट हो और जो कम से कम आधा एकड़ भूमि में कृषि कार्य करता हो."

(3) मूल अधिनियम की धारा 11-ख की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शब्द "भूमि स्वामी" का वही अर्थ होगा, जो कि, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में उसके लिये समनुदेशित है तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) के साथ उक्त के अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन स्वत्व धारक सम्मिलित है."

5. मूल अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (2) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— धारा 13 का संशोधन.

"परंतु यदि, मंडी समिति की अवधि का अवसान हो जाने पर, नई मंडी समिति का गठन नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मंडी समिति की अवधि में वृद्धि, ऐसे अवसान होने की तारीख से, ऐसी वृद्धि के कारणों को लेखबद्ध करते हुए, 06 माह की कालावधि के लिए दो बार में अर्थात् अधिकतम 01 वर्ष की कालावधि के लिए कर सकेगी और यदि नई मंडी समिति का गठन इस बढ़ाई गई अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा, कि यह विघटित हो गई है, और ऐसी दशा में धारा 57 के उपबंध लागू होंगे."

6. (1) मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— धारा 17 का संशोधन.

"(तीन) मंडी कृत्यकारियों का पंजीयन मंजूर करेगी या मंजूर करने से इंकार करेगी और ऐसे पंजीयन को नवीकृत, निलंबित या रद्द करेगी."

(2) मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के खण्ड (तेरह) के उप-खण्ड (ख) को विलोपित किया जाये.

7. (1) मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के खण्ड (दो), में शब्द "प्रसंस्करण" के पश्चात् शब्द "तथा विनिर्माण" जोड़ा जाये. धारा 19 का संशोधन.

(2) मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाये, अर्थात् :—

"(8) मंडी समिति, मंडी प्रांगण, तथा विशेष वस्तु मंडी प्रांगण तथा उप-मंडी प्रांगण मे वाहन के लिये प्रवेश शुल्क एवं विभिन्न सेवाएं जैसे-सुरक्षा, प्रकाश, प्रांगण में स्वच्छता तथा रख रखाव एवं अन्य व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने के लिए, ऐसी दर से, जैसा कि उप-विधि में विनिर्दिष्ट किया जाये, उप-मंडी प्रांगण के किसान/उपभोक्ता से शुल्क का उद्ग्रहण (लेवी) तथा संग्रहण कर सकेगी."

धारा 27 का संशोधन. 8. मूल अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(3) सचिव, मंडी समिति के प्रति जवाबदार होगा और प्रबंध संचालक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा."

धारा 32 का संशोधन. 9. (1) मूल अधिनियम की धारा 32 में, जहां कहीं शब्द "अनुज्ञप्ति" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "पंजीयन" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (5) विलोपित की जाये.

धारा 32-क का संशोधन. 10. (1) मूल अधिनियम की धारा 32-क के शीर्षक में, शब्द "अनुज्ञप्ति" के स्थान पर शब्द "पंजीयन" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 32-क में जहां कहीं शब्द "अनुज्ञप्ति" आया हो, उसके स्थान पर, शब्द "पंजीयन" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 33 का संशोधन. 11. (1) मूल अधिनियम की धारा 33 के शीर्षक में, शब्द "अनुज्ञप्तियां" के स्थान पर शब्द "पंजीयन" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 33 में जहां कहीं शब्द "अनुज्ञप्ति" आया हो, उसके स्थान पर, शब्द "पंजीयन" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 37 का संशोधन. 12. (1) मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (4) में शब्द "आढ़तिया" के स्थान पर, शब्द "अभिकर्ता" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (4) में शब्द "व्यापारी" विलोपित किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (5) में शब्द "आढ़तिया" के स्थान पर, शब्द "अभिकर्ता" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 41 का संशोधन. 13. (1) मूल अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख), ( ) एवं (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

"(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग उनके नामित प्रतिनिधि, जो कि उपसचिव की श्रेणी से निम्न श्रेणी के न हो;

(ग) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, छत्तीसगढ़ या उनके नामि प्रतिनिधि, जो कि संयुक्त संचालक की श्रेणी से निम्न के न हो;

(घ) संचालक, कृषि छत्तीसगढ़ या उनके नामित प्रतिनिधि कि संयुक्त संचालक की श्रेणी से निम्न के न हो."

(2) मूल अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(ङङ) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग या उनके नामित प्रतिनिधि, जो कि उपसचिव की श्रेणी से निम्न के न हो."

14. मूल अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (1) का "परन्तुक" विलोपित किया जाये. — धारा 42 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम की धारा 44 के खण्ड (ग्यारह) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :— — धारा 44 का संशोधन.

"(बारह). राज्य सरकार की पूर्वानुमति से/या निर्देश पर बोर्ड भिन्न-भिन्न कृषक कल्याणोन्मुखी गतिविधियों (कृषक हित) के लिये अपनी सकल वार्षिक आय का अधिकतम दस प्रतिशत तक राशि उपयोग कर सकेगा."

16. मूल अधिनियम की धारा 48 में, जहां कहीं शब्द "पांच सौ रुपये" आया है, उसके स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये. — धारा 48 का संशोधन.

17. मूल अधिनियम की धारा 49 में, जहां कहीं शब्द "दो सौ रुपये" एवं "पांच सौ रुपये" आया है, उनके स्थान पर क्रमश: शब्द "दो हजार रुपये" एवं "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित किए जायें. — धारा 49 का संशोधन.

18. मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में शब्द "एक सौ रुपये" तथा "बीस रुपए" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" तथा "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित किए जायें. — धारा 50 का संशोधन.

19. मूल अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (1) में शब्द "पांच सौ रुपये से अनधिक" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये से अनधिक" प्रतिस्थापित किया जाये. — धारा 53 का संशोधन.

20. (1) मूल अधिनियम की धारा 54 के शीर्षक में, शब्द "मंडियों का निरीक्षण तथा मंडी समिति के कार्यकलापों की जांच" के स्थान पर शब्द "मंडियों को निर्देश देने तथा निरीक्षण करने की शक्ति एवं मण्डी समिति के कार्य कलापों की जांच" प्रतिस्थापित किया जाये. — धारा 54 का संशोधन.

(2) मूल अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(कक) प्रबंध संचालक, मंडी समितियों को निर्देश दे सकेंगे तथा मंडी समितियां ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगी."

21. (1) मूल अधिनियम की धारा 63 में शब्द "एक सा रुपए" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपए" प्रतिस्थापित किया जाए. — धारा 63 का संशोधन.

(2) मूल अधिनियम की धारा 63 के परंतुक में, शब्द "पांच सौ रुपए" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपए" प्रतिस्थापित किया जाए.

22. मूल अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (2) के खण्ड (तेईस) एवं (चौबीस) को विलोपित किया जाये. — धारा 79 का संशोधन.

23. अनुसूची-एक में "तन्तुओं" से संबंधित समस्त प्रविष्टियों को विलोपित किया जाये. — अनुसूची-एक का संशोधन.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

क्रमांक 7178/195/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 22 of 2011)

THE CHHATTISGARH KRISHI UPAJ MANDI (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Amendment) Adhiniyam, 2011.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act),—

(1) In clause (b) of sub-section (1) of Section 2 of the Principal Act, after the words "a person" the words "and his family" shall be added.

(2) After clause (b) of sub-section (1) of Section 2 of the Principal Act, the following clause shall be inserted, namely :—

"(bb) "Family" means a person and his/her, wife or husband, as the case may be, and his/her children, father, mother, sister and brothers, dependent on and residing with him."

(3) In clause (e) of sub-section (1) of Section 2 of the Principal Act, for the words "Commission Agent" the word "Agent" shall be substituted and the word "trader" wherever it occur shall be omitted

(4) For clause (1) of sub-section (1) of Section 2 of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely :—

"(1) "market yard or special produce market yard, or sub market yard or farmers/consumers sub market yard" in relation to a market area means a specified place declared to be a market yard or special produce market yard or sub market yard or farmer/consumers sub market yard under clause (a) of sub-section (2) of Section 5."

(5) In clause (mmm) of sub-section (1) of Section 2 of the Principal Act, the word "Polishing" shall be omitted.

(6) After clause (mmmmm) of sub-section (1) of section 2 of the Principal Act, the following new clauses shall be added, namely :—

"(mmmmmm) 'Manufacture' means conversion of original look, size, shape and the properties of the agricultural produce into

other product having new and different look, size, shape and the properties or mixture/combination thereof for the commercial purpose."

"(mmmmmmm) 'Manufacturer' means a person who manufactures from a agricultural produce by manual or mechanical means."

3. (1) After sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 of the Principal Act, the following sub-clause shall be inserted, namely :—

Amendment of Section 5.

"(i-a) there may be one or more yards for special produce."

(2) In sub-clause (a) and (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Principal Act, after the words "market yard" and "sub-market yard" the words "or special produce market yard" and "or farmer/consumer sub-market yard" shall be inserted.

4. (1) For Explanation of clause (b) of sub-section (1) of Section 11 of the Principal Act, the following Explanation shall be substituted, namely :—

Amendment of Section 11.

"Explanation— The expression "representatives of agriculturist" in this clause shall not include an agriculturists of the market area, if any of his/her relatives e.g.; husband, wife, father, mother, brother, sister, son and daughter, who are residing with and dependent on him/her, holds a trader's registration from any of the market committee in the State."

(2) For clause (a) of sub-section (1) of Section 11-B of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) Whose name is entered as Bhumiswami/Lease or Patta holder in the revenue/forest village land records and possesses at least half acre of land being used for agricultural activity."

(3) For Explanation of clause (d) of sub-section (1) of Section 11-B of the Principal Act, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation— The word "Bhumiswami" shall have the same meaning as assigned to it in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and shall include title holder under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) along with Rules framed there under."

5. For proviso of sub-section (2) of Section 13 of the Principal Act, the following proviso shall be substituted, namely :—

Amendment of Section 13.

"Provided that, if on the expiry of the term of the market committee, a new market committee is not constituted, the State Government may, by notification, extend the term of the market committee for a period of six months twice, that is for a maximum period of one year from the date of expiry, with reasons for such extension being placed on record and if the new market committee is not constituted within this extended term, it shall be deemed to have been dissolved and in such event the provisions of Section 57 shall apply."

6 (1) For clause (iii) of sub-section (2) of Section 17 of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely :—

Amendment of Section 17.

"(iii) grant or refuse registration to the market functionaries and renew, suspend or cancel such registrations."

(2) Sub-clause (b) of clause (xiii) of sub-section (2) of Section 17 of the Principal Act, shall be omitted.

Amendment of Section 19.

7. (1) In clause (ii) of sub-section (1) of Section 19 of the Principal Act, after the words "processing" the word "and manufacturing" shall be added.

(2) After sub-section (7) of Section 19 of the Principal Act, the following sub-section shall be added, namely :—

"(8) The market committee may levy and collect entrance fees for vehicle and services viz. security, electrification, sanitation and maintenance of yards and other facilities provided in the market yard and special produce market yard and sub-market yard, from farmers/consumers of sub-market yard at such rate as may be specified in the bye-laws."

Amendment of Section 27.

8. For sub-section (3) of Section 27 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(3) The Secretary shall be accountable to the Market Committee and shall be under the administrative control of the Managing Director."

Amendment of Section 32.

9. (1) In Section 32 of the Principal Act, for the word "licences" wherever they occur, the word "registration" shall be substituted.

(2) Sub-section (5) of Section 32 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 32-A

10. (1) In the heading of Section 32-A of the Principal Act, for the word "Licence" the word "Registration" shall be substituted.

(2) In Section 32-A of the Principal Act, for the word "licence" wherever they occur, the word "registration" shall be substituted.

Amendment of Section 33.

11. (1) In the heading of Section 33 of the Principal Act, for the word "licences" the word "registration" shall be substituted.

(2) In Section 33 of the Principal Act, for the word "licence" wherever they occur, the word "registration" shall be substituted.

Amendment of Section 37.

12. (1) In sub-section (4) of Section 37 of the Principal Act, for the words "Commission agent" the word "Agent" shall be substituted.

(2) In sub-section (4) of Section 37 of the Principal Act, the words "Trader" shall be omitted.

(3) In sub-section (5) of Section 37 of the Principal Act, for the words "Commission agent" the word "Agent" shall be substituted.

Amendment of Section 41.

13. (1) For clause (b), (c) and (d) of sub-section (1) of Section 41 of the Principal Act, the following clauses shall be substituted, namely :—

"(b) Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Agricultural Department or his nominated representative, not below the rank of Deputy Secretary;

(c) Registrar, Co-operative Societies, Chhattisgarh or his nominated representative not below the rank of Joint Director.

(d) Director of Agriculture, Chhattisgarh or his nominated representative not below the rank of Joint Director."

(2) After clause (e) of sub-section (1) of Section 41 of the Principal Act, the following clause shall be added, namely :—

"(ee) Secretary, Government of Chhattisgarh, Finance Department or his representative not below the rank of the Deputy Secretary."

14. Proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 42.**

15. After clause (xi) of Section 44 of the Principal Act, the following clause shall be added, namely :— **Amendment of Section 44.**

"(xii) The Board may utilize a maximum of ten percent of its annual gross income for various farmer welfare oriented activities with the prior sanction of/or instructions from the State Government."

16. In Section 48 of the Principal Act, for the words "five hundred rupees" wherever they occur, the words "five thousand rupees" shall be substituted. **Amendment of Section 48.**

17. In Section 49 of the Principal Act, for the words "two hundred rupees" and "five hundred rupees" wherever they occur the words "two thousand rupees" and "five thousand rupees" shall be substituted respectively. **Amendment of Section 49.**

18. In first proviso to sub-section (1) of Section 50 of the Principal Act, for the words "one hundred rupees" and "twenty rupees" the words "two thousand rupees" and "five hundred rupees" shall be substituted. **Amendment of Section 50.**

19. In sub-section (1) of Section 53 of the Principal Act, for the words "not exceeding rupees five hundred", the words "not exceeding rupees five thousand" shall be substituted. **Amendment of Section 53.**

20. (1) In the heading of Section 54 of the Principal Act, for the words "Inspection of markets and inquiry into affairs of market committee" the words "Power to give instruction and inspection of markets and inquiry in to affairs of market committee" shall be substituted. **Amendment of Section 54.**

(2) After clause (a) of sub-section (1) of Section 54 of the Principal Act, the following clause shall be inserted, namely :—

"(aa) the Managing Director may give direction to the market committees and the market committee shall be bound to comply with such direction."

21. (1) In Section 63 of the Principal Act, for the words "one hundred rupees" the words "one thousand rupees" shall be substituted. **Amendment of Section 63.**

(2) In proviso to Section 63 of the Principal Act, for the words "five hundred rupees" the words "five thousand rupees" shall be substituted.

22. Clause (xxiii) and (xxiv) of sub-section (2) of Section 79 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 79.**

23. In Schedule-I, all the entries relating to fibres be omitted. **Amendment of Schedule-I.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.